राज्य स्तर पर सरकार

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
19	राज्य स्तर पर सरकार	समालोचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण	राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रचना और कार्यों को समझना।

अर्थ

भारत एक संघ है। यहां पर दोहरा या दो-स्तरीय शासन व्यवस्था पायी जाती है। सरकार के तीनों अंग-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के दोनों स्तरों, केन्द्र और राज्यों में कार्यरत हैं।

भारत में केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र है। राज्य स्तर पर कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदान की गयी हैं। राज्यपाल राज्य का मुखिया/अध्यक्ष है। कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद द्वारा किया जाता है।

राज्य स्तर का शासन

(कार्यपालिका)	विधायिका	न्यायपालिका
राज्यपाल व मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद	राज्यपाल + विधान सभा + विधान परिषद	उच्च-न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय

राज्यपाल की नियुक्ति

राज्यपाल: राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष के लिये की जाती है।

राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति उसके पाँच वर्ष के कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है तथा वह उससे पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है।

राज्यपाल की शक्तियां

राज्यपाल की शक्तियां निम्न प्रकार से है

(i) **कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां** - वह मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रीपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह महा-अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति करता है।

(ii) **विधायी शक्तियाँ** - राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होता है। वह विधान मण्डल को संबोधित करता है, सदन की बैठक बुलाना और सत्रावसान की घोषणा करना भी राज्यपाल की विध ायी शक्तियों के दायरे में आता है। राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राज्यपाल की सहमति न हो।

(iii) **वित्तीय शक्तियाँ** - राज्य विधानमण्डल में कोई धन विधेयक बिना राज्यपाल की पूर्व सहमति के पेश नहीं किया जा सकता। राज्य का वार्षिक बजट उसी के नाम पर पेश किया जाता है।

(iv) **स्वैच्छिक शक्तियां** - यदि विधान सभा चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिये आमंत्रण देने के लिए राज्यपाल अपनी स्वैच्छिक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। यदि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा हो तो वह इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है। वह राज्य विध ानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेज सकता है।

राज्यपाल और मंत्रीपरिषद के बीच सम्बन्ध

- राज्य स्तर की कार्यपालिका का गठन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीपरिषद से मिलकर होता है। राज्यपाल अपनी समस्त कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीपरिषद के परामर्श पर करता है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमन्त्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
- मंत्रीमंडल के समस्त निर्णयों से मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत कराता है।
- वास्तविक रूप से कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल केवल नाममात्र का अध्यक्ष है लेकिन कुछ परिस्थितियों में विशेषकर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में वह प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार स्वैच्छिक शक्तियां कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करने का मौका देती हैं।

मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद के अन्य सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। उनका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। सत्ता में बने रहने के लिये उनका विधान सभा में बहुमत होना अनिवार्य है। यदि मुख्यमंत्री या मंत्रीपद पर नियुक्त व्यक्ति राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है तो उसे अनवार्य रूप यह सदस्यता छः महीने के अन्दर प्राप्त करनी होती है।

मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद के कार्य

मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। उसके कार्य निम्न प्रकार से हैं:

- यह मंत्रीपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज में समन्वय स्थापित करता है।
- राज्य के लिये नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन करता है।
- मंत्रीपरिषद और राज्यपाल के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है।
- किसी मंत्री द्वारा लिये गये निर्णय को मंत्रीपरिषद के विचार विमर्श के लिये रखता है।

मुख्यमंत्री की स्थिति

वह राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह नीति निर्धारण करता है तथा मंत्रीपरिषद का मार्गदर्शन करता है। यदि उसके दल का विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होता है तो मुख्यमंत्री की स्थिति और भी अधिक मजबूत हो जाती है। जब कि गठबंधन सरकार में उसकी भूमिका पर कई प्रतिबंध लग जाते हैं। गठबंधन के सहयोगी उस पर अपनी कई इच्छाएं थोप देते हैं जो उसे पूरी करनी होती हैं।

राज्य विधानमंडल

भारत में प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं उदाहरणार्थ द्विसदनीय और एक सदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल में दो सदन होते हैं - निम्न सदन (विधानसभा) तथा उच्च सदन (विधान परिषद) जबकि एक सदनीय विधानमंडल में एक ही सदन होता है, विधानसभा। वर्तमान समय में भारत के ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। केवल पाँच राज्यों, बिहार, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमण्डल है। बाकी 23 राज्यों में एक सदनीय विधानमण्डल कार्यरत हैं।

राज्य विधानमण्डल की रचना

भारत के संविधान के अनुसार किसी विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे हालांकि कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। छोटे राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम और मिजोरम की विधानसभा में 60 से कम सदस्य संख्या की छूट दी गयी है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।

विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष है, हालांकि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इसे इसके निश्चित कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

राज्य विधान परिषद में राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में 36 सदस्य इसका अपवाद है। विधान परिषद के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा कुछ मनोनीत होते हैं।

विधान परिषद की रचना

- एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं के द्वारा चुने जाते हैं।
- एक तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।
- इसका बारहवां हिस्सा अर्थात 1/12 सदस्य राज्य के तीन साल पुराने स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं।
- अन्य बारहवां हिस्सा अर्थात 1/12 सदस्य माध्यमिक तथा उससे ऊपर के कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाले अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं।
- उसका छठा हिस्सा (1/6), सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
- विधान परिषद स्थायी सदन है इसे भंग नहीं किया जा सकता।

राज्य विधानमंडल के कार्य

- **विधायी कार्य**
  - राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है।
  - साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन (जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है) में पेश किये जा सकते हैं जबकि धन विधेयक पहले केवल विधान सभा में ही पेश किया जा सकता है।
- **कार्यपालिका पर नियंत्रण**

  राज्य विधानमंडल प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है।
- **चुनाव सम्बन्धी कार्य**

  विधान सभा के सदस्य राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते है तथा राष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदान करते हैं
- **संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य**

  संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों में संशोधन करने के लिये कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य होती है।

उच्च और अधीनस्थ न्यायालय

भारत में प्रत्येक राज्य का प्राय: एक उच्च न्यायालय है। हलांकि एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य भी हो सकते है दूसरे शब्दो में एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है। एक अपवाद के तौर पर गुवाहटी उच्च न्यायालय असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नगालैण्ड, मणीपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसी तरह कुछ छोटे राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो सकता है।

उच्च न्यायालय का संगठन

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है जबकि अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति करते समय वह सम्बन्धित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह लेता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिये आवश्यक योग्यता इस प्रकार है–वह भारत का नागरिक होना चाहिये। भारत के किसी भी क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो या कम से कम दस वर्ष तक लगातार एक या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को संसद द्वारा दुराचार और अक्षमता की पुष्टि पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्रधिकार

- उच्च न्यायालय को प्रारम्भिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
- मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने तथा अन्य कानूनी अधिकारों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय प्रारम्भिक क्षेत्रधिकार का प्रयोग करता है।
- उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध भी अपील की सुनवाई करता है।
- दीवानी मामलों में जिला न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।
- फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है जहाँ पर सात वर्ष से अधिक की कारावास का दण्ड दिया गया हो।
- उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों को उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप निर्णय देना होता है।
- उच्च न्यायालय न्यायालय की अवमानना के मामले में दण्ड दे सकता है।

अधीनस्थ या निचले/अवर न्यायालय

अधीनस्थ न्यायालय

दीवानी न्यायालय फौजदारी न्यायालय राजस्व न्यायालय

दीवनी मामले/वाद – सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद, समझौता या संविदा तोड़ने, तलाक, मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवाद आदि

फौजदारी मामले/वाद – चोरी, डकैती, बलात्कार, जेब कतरी, शारीरिक प्रहार, हत्या आदि। इन मामलों में फौजदारी अदालत में मुकदमा राज्य के नाम पर पुलिस दायर करती है।

राजस्व अदालतें/न्यायालय – राज्य स्तर पर राजस्व बोर्ड होता है इसके अधीन अधीक्षक न्यायालय, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि आते हैं। राजस्व बोर्ड अपने अधीन सभी राजस्व आदलतों के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनता है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. राज्यपाल की किन्हीं दो स्वैछिक शक्तियों का वर्णन कीजिए।

प्र. "मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद एक साथ तैरते व डूबते हैं।" क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिये कोई दो तर्क दीजिए।

प्र. उच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्रधिकार की व्याख्या कीजिए।